



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 180 राँची, सोमवार,

21 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 मार्च, 2025

संख्या-5/आरोप-1-58/2018-29387 (HRMS)--श्री बिवेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-399/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामा, दुमका के विरुद्ध उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-508/ स्था०, दिनांक 24.05.2018 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र में श्री सुमन के विरुद्ध जामा प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत स्तर के योजनाओं का प्रखण्ड स्तर से एफ०टी०ओ० कराने, बिना कार्य कराये कुल 973571.00 रुपये की राशि पंचायत एवं प्रखण्ड से निकासी करने, मनरेगा एक्ट का खुलाखुल्म उल्लंघन करने के साथ भ्रष्टाचार में संलिप्त रहकर अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ितकर स्वार्थवश राशि का बंदरबांट करने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4775, दिनांक 28.06.2018 एवं स्मार पत्रों द्वारा श्री सुमन से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री सुमन के पत्रांक-171, दिनांक 01.06.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित न कर अन्य कागजात की माँग की गई। उक्त के आलोक में श्री सुमन को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक-3462, दिनांक 15.06.2023 द्वारा अंतिम अवसर प्रदान की गई, परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया।

मामले की समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-23676(HRMS), दिनांक 22.08.2023 द्वारा श्री सुमन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-256, दिनांक 31.12.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

श्री सुमन के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य/निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री बिबेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-399/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामा, दुमका को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बिबेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BIVEK KUMAR SUMAN 20075300062	श्री बिबेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-399/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामा, दुमका को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
